निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 12/2020 दावा
दायरा दिनांक 05.05.2020
निर्णय दिनांक :– 7.9.21

उनवान

1. अब्दुल कययुम पुत्र श्री अब्दुल मौलाना जाति मुसलमान
2. रसीद मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल मौलाना जाति मुसलमान निवासीगण आंकेडा

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
2. ग्राम पंचायत नारेडा जर्ये सचिव ग्राम पंचायत नारेडा तहसील बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 7.9.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओ.पी. मेहता II एडवोकेट – वादी

अभिभषाक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम आकेडा की आराजी खसरा नंबर 531 रकबा 1.03 हेक्टेयर नहरी तृतीय लगानी 21.63 रूपये व आराजी खसरा नंबर 530 रकबा 1.02 हेक्टेयर नहरी तृतीय लगानी 21.42 रूपये व खसरा नंबर 530 रकबा 1.02 हेक्टेयर नहरी तृतीय लगानी 21.42 रूपये व खसरा नंबर 526 रकबा 13.03 हेक्टेयर चारागाह को वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया। ग्राम आकेडा तहसील बारां की आराजी खसरा नंबर 531 रकबा 1.03 हेक्टेयर व खसरा नंबर 530 रकबा 1.02 हेक्टेयर के सेटलमेंट सम्वत् 2038–2057 के पूर्व साबिक खसरा नंबर 377 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा से कायम किये गये है, जिसका पुराना नक्शा सम्वत् 2010–2011 के अनुसार खसरा नंबर 377 के बाद ग्राम ठेडा का कांकड भारू हो जाता है, खसरा नंबर 377 व ग्राम पाठेडा के कांकड के मध्य किसी प्रकार की अन्य कोई आराजियात नही है, किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम किये गये नये नक्शे मे खसरा नंबर 377 के वर्तमान नम्बर 531 व 530 कायम किये गये है, जिसके दक्षिणी ओर ग्राम पाठेडा के कांकड के मध्य खसरा नंबर 526 रकबा 13.03 हेक्टेयर किस्म चारागाह अंकित कर दिया है, जो नया नक्शा बनाते वक्त गलत रूप से अंकित किया गया है, इसके आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा वादीगण के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की जा रही है, जबकि उनका कब्जा खसरा नंबर 377 के अनुसार ही मौके पर चला आ रहा है, तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नंबर 377

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा के वर्तमान खसरा नंबर 531 रकबा 1.03 हेक्टेयर व खसरा नंबर 530 रकबा 1.02 हेक्टेयर कुल 2.05 हेक्टेयर कायम किये गये है, जो 2.09 हेक्टेयर कायम होना चाहिये था, इस प्रकार रकबा 0.04 हेक्टेयर कम किया जाकर वर्तमान खसरा नंबर 526 रकबा 13.03 हेक्टेयर मे बढा दिया गया है, जिसकी भी वादी दुरूस्ती करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। खसरा नंबर 526 रकबा 13.03. हेक्टेयर किस्म चारागाह के साबिक खसरा नंबर 376 से कायम किये गये है, जिसके मुताबिक खसरा नंबर 376 ग्राम नारेडा के कांकड से लगा हुआ है, किन्तु खसरा नंबर 377 के दक्षिणी ओर ग्राम नारेडा के कांकड के मध्य किसी भी प्रकार का नक्शे मे दर्ज नही है, इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नया नक्शा बनाते वक्त गलत रूप से खसरा नंबर 531 व 530 के दक्षिणी ओर ग्राम पर नारेडा के कांकड के मध्य खसरा नंबर 526 की भूपट्टी दिखाई गई है, जो गलत इन्द्राज किया गया है, तथा खसरा नंबर 531 व 530 के साबिक खसरा नंबर 377 का रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा का वर्तमान रकबा कुल 2.05 हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि 0.09 हेक्टेयर दर्ज होना चाहिये था, इस प्रकार 0.04 हेक्टेयर रकबा दर्ज किया गया है, और दक्षिणी ओर खसरा नंबर 531, व 530 के व ग्राम नारेडा के कांकड के मध्य खसरा नंबर 526 का गलत अंकन किया गया है, जिसकी वादीगण दुरूस्ती करा पा सकने के एवं राजस्व रिकार्ड मे अंकन करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है, तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निशेधाज्ञा भी प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है।

ग्राम पंचायत नारेडा द्वारा खसरा नंबर 526 रकबा 13.03 हेक्टेयर की आराजी मानते हुये वादीगण को परेशान किया गया व उनके पूर्वजो के समय से ही खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी खसरा नंबर 377 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा के अनुसार ही मौके पर बैठे हुये है, फिर भी ग्राम पंचायत नारेडा द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस बाबत वादीगण द्वारा अपने रकबे व नक्शे की दुरूस्ती हेतु तहसीलदार बारां से निवेदन किया गया, किन्तु उसके द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने व ग्राम पंचायत नारेडा द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर दिनांक 21.09. 2019 को बमुकाम आकेडा मे वाद कारण उत्पन्न हुआ है, व वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिनांक 09.10.2019 को दिलाये जाने पर अंतिम रूप से वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आकेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 274, नकल जमाबन्दी ग्राम आकेडा सम्वत् 2070–73, खाता संख्या 9, नकल जमाबन्दी ग्राम आकेडा सम्वत् 2070–74 खाता संख्या 205, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम आकेडा, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम आकेडा, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–56, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2034–36 खाता संख्या 138 ग्राम आकेडा, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम आकेडा सम्वत् 2034–36, नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2038–56, नकल खतौनी बदोबस्त ग्राम आकेडा सम्वत् 2038–56 खाता संख्या 206 नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम आकेडा पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम आकेडा में स्थित है। ग्राम आकेडा की आराजी खसरा नंबर 531 रकबा 1.03 हेक्टेयर, खसरा नंबर 530 रकबा 1.02 हेक्टेयर के सेटलमेन्ट सम्वत् 2038–57 के पूर्व साविक खसरा नंबर 377 रकबा 13.02 बीघा से कायम किये गये थे, जिसका पुराना नक्शा सम्वत् 2010–11 के अनुसार खसरा नंबर 377 के बाद ग्राम पाटेडा का कांकड शुरू हो जाता है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम किये गये नये नक्शे मे खसरा नंबर 377 के वर्तमान नंबर 531 व 530 कायम किये गये। जिसके दक्षिण तरफ ग्राम पाठेडा के कांकड के मध्य खसरा नंबर 526 रकबा 13.03 हेक्टेयर भूमि चारागाह मे अंकित कर दिया गया है। जो नया नक्शा बनाते वक्त गलत रूप से अंकित किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादीगण के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की जा रही है, जबकि उनका कब्जा खसरा नंबर 377 के अनुसार ही मौके पर चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नंबर 377 के नये खसरा नंबर 530 व 531 कायम किये गये, जिनका रकबा 0.04 हेक्टेयर कम किया जाकर वर्तमान खसरा नंबर 526 रकबा 13.03 हेक्टेयर मे बढ़ा दिया गया है, जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नया नक्शा बनाते समय खसरा नंबर 531 व 530 के दक्षिण तरफ नारेडा के कांकड के मध्य खसरा नंबर 526 की भू पट्टी दिखाई गई है, जो गलत इन्द्राज किया गया है। वादी को 0.04 हेक्टेयर भूमि की पूर्ति खसरा नंबर 531 व 530 दोनो में 0.02 हेक्टेयर व 0.02 हेक्टेयर की दुरूस्ती की जाकर नक्शे में दुरूस्त किये जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम आकेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 274 चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम आकेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 09 के अनुसार अब्दुल कयुम पुत्र अब्दुल मौलाना के नाम खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम आकेडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 205 के अनुसार रसीद मोहम्मद पुत्र अब्दुल मोलाना के नाम खातेदारी मे दर्ज है। नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–56 के अनुसार हाल खसरा नंबर 530 व 531 रकबा 1.02 व 1.03 हेक्टेयर जिसके साविक खसरा नंबर 377 दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम आकेडा सम्वत् 2034–36 खाता संख्या 138 के अनुसार सरदारी लाल वल्द जीवनलाल कोम राव के खातेदारी मे दर्ज है। नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम आकेडा के अनुसार खसरा नंबर 526 रकबा 13.03 बीघा दर्ज है। नकल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2010–11 के अनुसार खसरा नंबर 377 में कांकड के सहारे किसी प्रकार की कोई पट्टी दर्ज नही है। नकल नक्शा ट्रेस ग्राम आकेडा दिनांक 08.07.2019 के अनुसार खसरा नंबर 526 के कांकड की तरफ खसरा नंबर 530, 529, 527, 710/623, 694/624, 715/624 तक पट्टी अंकित है। इससे यह साबित होता है, कि सम्वत् 2010–11 के नक्शा ट्रेस में साविक खसरा नंबर 377 मे किसी प्रकार की कोई पट्टी अंकित नही थी, परन्तु सेटलमेन्ट के समय साविक खसरा नंबर 377 के [illegible] व 531 अंकित किये गये, उनके नक्शा ट्रेस के मुताबिक खसरा नंबर 526 की भूमि [illegible] 530, 529, 527, व अन्य खसरा नंबरो मे होकर एक अलग से नयी [illegible] गई है, जिसे वादी दुरूस्त कराना चाहता है। तहसीलदार बारां द्वारा अपने जवाब मे [illegible] कि वादीगण द्वारा ग्राम आकेडा की वर्तमान खसरा नंबर 530 रकबा 1.02 है, खसरा नंबर [illegible] रकबा 1.03 है, व खसरा नंबर 526

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

रकबा 13.03 है, किस्म चारागाह के सम्बनध मे वादमत्र दायर किया है। वादी द्वारा खसरा नंबर 530 व 531 जिसका साबिक खसरा नंबर 377 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा था। वर्तमान खसरा नंबर 530 व 531 का कुल रकबा 2.05 है, जो गत के मुकाबले 0.04 है, कम होना तथा वर्तमान खसरा नंबर मे बढ़ने से दुरूस्ती हेतु दावा पेश किया है। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर खसरा नंबर 526 की गत जमाबंदी नही होने से रकबे की जानकारी नही हो पा रही है। खसरा नंबर 530 व 531 के दक्षिणी और कांकड के मध्य खसरा नंबर 526 की भू. पट्टी वर्तमान नक्शे में अंकित है, जबकि वादी के खसरा नंबर 530 व 531 जिनके साबिक नम्बर 377 है, गत नक्शों मे खसरा नंबर 377 कांकड़ तक होना तथा वर्तमान मे गलत अंकित करने से वादी दुरूस्त करवाना चाहते है। इस सम्बन्ध में पत्रावली मे संलग्न वर्तमान व गत नक्शा मिलान क्षैत्रफल का अवलोकन करने पर गत नक्शे के मुकाबले वर्तमान नक्शे का मिलान नही होता है, दुरूस्ती करना उचित प्रतीत होना बताया है। इससे यह साबित होता है, कि प्रार्थी की भूमि का जो नक्शा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 0.04 हेक्टेयर कम किया गया है, उसे दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार बारां द्वारा भी अपने जवाब में बताया है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम आकेडा के खसरा नंबर 531 रकबा 1.03 हेक्टेयर खसरा नंबर 530 रकबा 1.02 हेक्टेयर कुल 2.05 हेक्टेयर मे कम किये गये रकबा 0.04 हेक्टेयर की पूर्ति की जाकर दोनो खसरा नंबरों में 0.02 हेक्टेयर, 0.02 हेक्टेयर की दुरूस्ती नक्शे में, खसरा नंबर 526 की पट्टी को हटाते हुये करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 12/2020	धारा 88,89,188,आर टी एक्ट111,128,131 एल आर एक्ट	निर्णय दिनांक : 07.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– ओम मेहता	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. अब्दुल कययुम पुत्र श्री अब्दुल मौलाना जाति मुसलमान
2. रसीद मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल मौलाना जाति मुसलमान निवासीगण आंकेडा

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी कलमण्डा तहसील बारां।
2. ग्राम पंचायत नारेडा जर्ये सचिव ग्राम पंचायत नारेडा तहसील बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम आकेडा के खसरा नंबर 531 रकबा 1.03 हेक्टेयर खसरा नंबर 530 रकबा 1.02 हेक्टेयर कुल 2.05 हेक्टेयर मे कम किये गये रकबा 0.04 हेक्टेयर की पूर्ति की जाकर दोनो खसरा नंबरों में 0.02 हेक्टेयर, 0.02 हेक्टेयर की दुरूस्ती नक्शे में, खसरा नंबर 526 की पट्टी को हटाते हुये करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 07.09.2021.को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी,

बारां

व्ययानुतोष			
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं	व्यय मद		
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner